सारण समाहरणालय,छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत श्री श्रीकान्त यादव, माननीय स0वि0स0 एकमा द्वारा चयनित 29 शैक्षणिक संस्थानों में 2000 जोड़ा बेंच–डेस्क क्रय कर आपूर्ति करने की अनुशंसा की गई हैं।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में आपूर्ति हेतु दिनांक 24.02.22 को अपराह्न 3:00 बजे तक निर्माता कम्पनी/फर्म व ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन दिनांक 24-02-22 को अपराह्न 4:00 बजे उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बेंच–डेस्क की विशिष्टितायें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है।

बेंच–डेस्क क्रय से संबंधित विशिष्टियॉ		
उपस्कर का नाम एवं प्रकार	आकार	विशिष्टितायें
1	2	3
(क) बेंच–शीशम की लकड़ी के फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा	60 इंच X18 इंच X 10 इंच	(i) पौवा – 18 इंच X 2 इंच X 2 इंच – चार
		(ii) पाशी – 60 इंच X 3 इंच X 1 इंच – दो
		(iii) साईड पाशी – 7 इंच X 3 इंच X 1 इंच – तीन
		(iv) गज – 7 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच – दो
		(v) पटरा आम – 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक
डेस्क–शीशम की लकड़ी के फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा	60 इंचX30 इंच X 14 इंच	(i) पौवा – 30 इंच X 2 इंच X 2 इंच – चार
		(ii) पाशी – 60 इंच X 3 इंच X 1 इंच – दो
		(iii) साईड पाशी – 10 इंच X 4 इंच X 1 इंच – तीन
		(iv) गज – 12 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच – दो
		(v) पटरा आम – 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक
		(vi) पटरा आम – 60 इंच X 4 इंच X 1 इंच – एक

निम्नलिखित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. मुहरबंद निविदा दो शर्तों में होगी। (i) तकनीकी निविदा (ii) वित्तीय निविदा
2. बेंच–डेस्क का तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में होना चाहिए और लिफाफे के उपर निविदादाता का नाम एवं फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित रहना चाहिए।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
4. **सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को बेंच–डेस्क का निर्माण संबंधित शैक्षणिक संस्थान में ही स्थानीय मजदूर जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल है, से कराना होगा। निर्माण में लोहा का उपयोग नहीं किया जाएगा। बेंच–डेस्क का निर्माण आम एवं शीशम के लकड़ी से किया जायेगा, जिसके तहत् बेंच–डेस्क का फ्रेम शीशम की लकड़ी का होगा एवं पटरा आम की लकड़ी का होगा।**

5. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित विद्यालयों में करना होगा। उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगा। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
6. विपत्र का भुगतान आपूरित सामग्रियों के गुणवता के जॉचोपरांत किया जाएगा।
7. विवाद की स्थिति में न्यायालय, छपरा का क्षेत्राधिकार लागू होगा।

(क) <u>तकनीकी निविदा की शर्तें :–</u>

1. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे।
   (i) अग्रधन के रूप में 2,00,000.00/– (दो लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो जिला योजना पदाधिकारी, सारण, छपरा के पदनाम से भुगतेय होगा।
   (ii) संबंधित फर्म का निबंधन एवं बिक्रीकर (जी0एस0टी0) निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (iii) आयकर दाता होने का प्रमाण–पत्र यथा पैन कार्ड, अद्यतन आयकर रिटर्न विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (iv) काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता का विगत 03 (तीन) वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर 2,00,00,000.00 (दो करोड़) से कम नहीं होना चाहिए। तद्नुसार प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत जिला योजना कार्यालय के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में बेंच–डेस्क आपूर्ति के कार्य का अनुभव प्राप्त निविदादाता को वरीयता दी जायेगी।
4. बेंच–डेस्क का दर सभी कर सहित सम्मिलित कर देना होगा एवं वारंटी की अवधि (दो वर्ष) का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
5. निविदादाता को बेंच–डेस्क की आपूर्ति संबंधित विद्यालयों के करना होगा एवं सभी बेंच–डेस्क पर माननीय स0वि0स0 का नाम अंकित करना अनिवार्य है। इसके लिए अलग से किसी प्रकार कीं राशि देय नहीं होगी।
6. आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश के साथ किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
8. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(ख) <u>वित्तीय निविदा की शर्तें :–</u>

1. आपूर्तिकर्त्ता/निविदादाता को विभागीय मानक/विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु दर प्रति इकाई पर सभी कर सहित अंकित करना होगा।
2. निविदादाता को बिना रंगाई के एक–एक अदद बेंच–डेस्क नमूना के तौर पर लाना होगा।

उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा।